वित्त निर्देश 35/2004

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन-रायपुर

क्रमांक 881 /सी-1264/वि/नि/चार/2004 रायपुर,दिनांक 28/09/2004

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष,राजस्व मंडल,बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ ।

विषय:-शपथ-पत्र के आधार पर सामान्य भविष्य निधि के अवशेष रकमों का समायोजना ।

संदर्भ:-वित्त विभाग का ज्ञापन क्र.बी-9-2/87/नि-2/चार दिनांक 20.1.89

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 20.1.1989 के द्वारा शपथ-पत्र के आधार पर सामान्य भविष्य निधि की अवशेष रकमों का समायोजन करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं । इन निर्देशों के,

पैरा-2 (1) के अनुसार ऐसे मामलों में जहां कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गये हैं/त्याग पत्र दे दिया है अथवा जिनका निधन हो गया है, उनके प्रकरणें में, जहां अवशेष बैलेंस (Ressidual Balance) की कुल राशि रूपये 2500 से कम हो,वहां आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर बिना विस्तृत खोज-बीन के महालेखाकार द्वारा भुगतान पर्ची जारी की जा सकती है । जिन प्रकरणों में अवशेष बैलेंस की कुल राशि रूपये 2500 से अधिक हो, किन्तु रूपये 5000 से अधिक न हो, वहां अंशदाता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर महालेखाकार द्वारा भुगतान किया जा सकता है । उक्त ज्ञापन के पैरा 2(2) के अनुसार सेवारत शासकीय कर्मचारियों के मामलों में रूपये 5000 तक की गुमशुदा रकमें (Missing Credits) शपथ पत्र के आधार पर समायोजित की जा सकती है, बशर्ते कि यह रकमें चालू वित्तीय वर्ष से 3 वर्ष पूर्व की हो ।

राज्य शासन द्वारा अंतिम भुगतान प्रकरणों के निराकरण में होने वाले विलम्ब को दूर करने के लिए महालेखाकार के परामर्श से व्यापक कर्मचारी हित में उपरोक्त व्यवस्था के संबंध में अब यह निर्णय लिया गया है कि :-

(1) ऐसे मामलों में जहां कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए है/त्याग पत्र दे दिया है अथवा जिनका निधन हो गया है, उनके प्रकरणों में अवशेष बैलेंस निम्न प्रतिबंधों के अधीन दे दिया जावे:-

(i) जहां अवशेष बैलेंस की कुल राशि रूपये 10,000/- से कम हो,वहां आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर बिना

विस्तृत खोज-बीन के महालेखाकार द्वारा भुगतान पर्ची जारी की जा सकेगी :

(ii) जहां अवशेष बैलेंस की कुल राशि रूपये 10,000 से अधिक हो किन्तु रूपये 20,000 सें अधिक न हो, वहां अंशदाता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर महालेखाकार द्वारा भुगतान किया जावेगा ।

(2) सेवारत शासकीय कर्मचारियों के मामलों में रूपये 20,000/-तक की गुमशुदा रकमें (MissingCredits) शपथ-पत्र के आधार पर समायोजित की जा सकेगी बशर्ते कि यह रकमें चालू वित्तीय वर्ष से 3 वर्ष पूर्व की हों ।

(3) सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में उल्लेखित शपथ-पत्र सीधे ही महालेखाकार को भेजे जाते रहेंगे । सेवारत कर्मचारियों के शपथ-पत्र कार्यालय प्रमुख द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के आधार पर शपथ-पत्र में दी गई जानकारी की पुष्टि के साथ महालेखाकार को भेजा जायेगा ।

(4) शपथ-पत्र का प्रारूप संलग्न है ।

(सतीश पाण्डेय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,वित्त विभाग

पृ.क्र. 882/सी-1264/वि/नि/चार/2004 रायपुर, दिनांक 21/9/2004

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव,राजभवन,रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभ सचिवालय,रायपुर ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग. ।
5. सचिव, छ.ग., लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री,छत्तीसगढ़ शासन ।
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ ।
9. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
10. सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर ।
11. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ रायपुर

12. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छ0ग0, रायपुर ।
13. आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली ।
14. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
15. समस्त सचिव,विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग.,रायपुर
17. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
19. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
21. राज्य सूचना अधिकारी,राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (nic) को वित्त विभाग की वेबसाइट http://cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(एस.के.चकवर्ती)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

अवशेष बैलेंस की कुल राशि रूपये 10,000 से अधिक परन्तु रूपये 20,000 से अधिक न हो उस स्थिति में अंशदाता/विधिक उत्तराधिकारी द्वारा दिये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

शपथ पत्र

मैं श्री/कु./श्रीमती..............................आयु............(भूतपूर्व)..................(धारित पद तथा विभाग का पूरा नाम) शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन
करता/करती हूं:-

1.नीचे दिये विवरण के अनुसार मेरे/स्वर्गीय श्री/श्रीमती/कुमारी......................के वेतन से रूपये ....की राशि सामान्य भविष्य निधि खाता कमांक.......... (खाते का पूरा विवरण) में जमा करने के लिये काटी गई थी:-					
माह तथा वर्ष जिसके वेतन से काटी गई	अंशदान की राशि	अग्रिम की अदायगी	योग	आहरण अधिकारी का विवरण	अन्य विवरण (यदि कोई हो तो)
1.	2.	3.	4.	5.	6.

2. उपरोक्त राशि मेरे/स्वर्गीय श्री/श्रीमती/कुमारी............. के खाते मे अभी तक जमा नहीं हो पाई है तथा न ही उक्त राशि मुझे अभी तक वापिस मिली है।
स्थान.........
दिनांक.....

हस्ताक्षर
(शपथग्रहीता)

प्रमाणीकरण

मैं श्री/कु/श्रीमती........आयु.......पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री............(भूतपूर्व).......(धारित पद तथा विभाग का पूरा नाम) प्रमाणित करता हूं/करती हूं कि मेरे द्वारा ऊपर शपथ पत्र की कंडिका 1 से 2 तक में दिया गया कथन मेरी जानकारी तथा विश्वास से पूर्णत: सत्य है जिसमें न कोई तथ्य झूठा है और न कोई तथ्य छुपाया गया है ।

आज दिनांक......माह.....वर्ष......स्थान.........को हस्ताक्षर किए ।

हस्ताक्षर
(शपथग्रहीता)

टीप:-1.सेवारत कर्मचारियों के मामले में यह शपथ पत्र महालेखाकार को कार्यालय प्रमुख के माध्यम से भेजा जावेगा । सेवा निवृत्त कर्मचारी यह शपथ पत्र सीधे ही महालेखाकार को प्रस्तुत कर सकेगे ।

2.'भूतपूर्व' शब्द सेवारत कर्मचारियों के मामले में काट दिया जावे ।